एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Navratna Enterprise)
CIN: L40101HR1975GOI032564

Great Place To Work Certified

एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि
NHPC LIMITED EMPLOYEES PROVIDENT FUND,
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, चौथी मंजिल
NHPC OFFICE COMPLEX, 4th floor   से-33, फरीदाबाद-121003
SECTOR – 33, FARIDABAD – 121003 (HARYANA) – INDIA)
E-mail : nhpcepf@nhpc.nic.in
Telephone : 0129-2277752

NO: NH/FIN/EPF/2026/2056 Date: 30.03.2026

परिपत्र- विविध/ईपीएफ/2056

विषय: **परित्यक्य हुए कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में दिये गए ब्याज पर स्रोत पर आयकर (टीडीएस) की कटौती।**

एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट ईपीएफओ द्वारा ईपीएफ एवं विविध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत अनुमोदित एक छूट प्राप्त ट्रस्ट है और आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग-ए के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि है।

2.0 एनएचपीसी लिमिटेड से परित्यक्य हुए कर्मचारियों के ईपीएफ़ शेष पर जमा/भुगतान किए गए ब्याज की आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करयोग्यता के लिए जांच की गई और यह पाया गया है कि आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, रोजगार समाप्ति की तारीख तक पूर्व कर्मचारी को देय ब्याज सहित भविष्य निधि संचय को आयकर से छूट दी गई है, बशर्ते कि कर्मचारी ने कम से कम 5 वर्षों तक सेवा की हो।

2.1 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रोजगार समाप्ति की तारीख के बाद पीएफ ट्रस्ट द्वारा ईपीएफ़ शेष पर देय/भुगतान किया गया कोई भी ब्याज ऐसे कर्मचारी के हाथों में करयोग्य है, और यदि ब्याज राशि रुपये 10,000/- से अधिक तो टीडीएस देय या भुगतान जो भी पहले हो, के दौरान काटा जाएगा।

3.0 हालाँकि, त्यागपत्र दे चुके कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अपने वर्तमान ईपीएफ खाते में या वर्तमान नियोक्ता के छूट प्राप्त ईपीएफ ट्रस्ट में, जैसा भी मामला हो, ईपीएफ संचय के हस्तांतरण के लिए आवेदन कर सकता है। ईपीएफओ को फंड ट्रांसफर करने के लिए आवेदक आवेदन फॉर्म 13 ऑनलाइन जमा कर सकता है, इसके लिए ईपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल पर यूएएन लॉगिन के माध्यम से या मौजूदा नियोक्ता / छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के पीएफ ट्रस्ट में यदि फंड ट्रांसफर किया जाना है, फॉर्म-13 भरकर और हस्ताक्षरित करके छूट प्राप्त प्रतिष्ठान के पीएफ ट्रस्ट के रद्द चेक के साथ nhpcepf@nhpc.nic.in पर ई-मेल द्वारा भेजा जा सकता है। उपरोक्त मामले के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए, श्री बी.के. सेठ, जीएसएम (वित्त), मोबाइल नंबर 8800476981 और श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, एसएम (वित्त), मोबाइल नंबर 9220502633 से संपर्क किया जा सकता है।

3.1 ईपीएफओ/किसी छूट प्राप्त ट्रस्ट को फंड ट्रांसफर के मामले में चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज पर टीडीएस लागू नहीं होगा। हालाँकि, पिछले वर्षों में काटा गया टीडीएस, यदि कोई हो, ट्रस्ट द्वारा वापस नहीं किया जाएगा।

4.0 उपरोक्त तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी।

मनीष धवन
30/03/2026

मनीष धवन
(सचिव)

एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Navratna Enterprise)
CIN: L40101HR1975GOI032564

Great Place To Work Certified

एनएचपीसी लिमिटेड कर्मचारी भविष्य निधि
NHPC LIMITED EMPLOYEES PROVIDENT FUND,
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, चौथी मंजिल
NHPC OFFICE COMPLEX, 4th floor सै-33, फरीदाबाद-121003
SECTOR – 33, FARIDABAD – 121003 (HARYANA) – INDIA)
E-mail : nhpcepf@nhpc.nic.in
Telephone : 0129-2277752

NO: NH/FIN/EPF/2026/ 2056 Date: 30.03.2026

CIRCULAR- MISC./EPF/ 2056

Subject: **Deduction of Income Tax at Source (TDS) on Interest credited in Provident Fund Account of separated Employee.**

NHPC Limited Employees Provident Fund Trust is an Exempted Trust approved by EPFO under section 17 of the EPF & MP Act, 1952 and recognized Provident Fund under Part-A of fourth schedule of Income Tax Act 1961.

2.0 The issue of interest credited/paid on EPF Accumulation to an employee who have resigned/separated from any other reason from NHPC limited, has been examined for taxability as per the provisions of Income Tax Act. It has been gathered that as per the relevant provisions of Income Tax Act, the Provident Fund Accumulation along with interest payable to ex-employee upto the date of cessation of employment including resignation is exempted from Income Tax provided the employee has served for not less than 5 years.

2.1 In view of above, any interest credited/paid on EPF accumulation to an employee by PF Trust after date of cessation of Employment is liable to be taxed in the hands of such employee and TDS shall be deducted during credit or payment whichever is earlier, subject to interest amount exceeding Rs. 10,000/-.

3.0 However, eligible separated employee may apply for transfer of EPF Accumulation into their current EPF Account with Employees Provident Fund Organization (EPFO) or to an Exempted EPF Trust of current Employer, as the case may be. Application for transfer of fund to EPFO may be submitted online in Form 13, through UAN login on EPFO Unified Portal for Member or through the current Employer / EPF Trust in case fund is to be transferred to the PF Trust of any exempted establishment. Filled in and signed Form-13 along-with cancelled cheque of PF Trust of exempted establishment may be sent by e-mail to nhpcepf@nhpc.nic.in. For any query in relation to the above issue, Shri B.K. Seth, GSM (Finance), Mobile No.8800476981 and Shri Pradeep Kumar Gupta, SM (Finance), Mobile No.9220502633 may be contacted.

3.1 TDS on Interest for the year shall not be applicable in case of transfer of Fund to EPFO/ Any Exempted Trust. However, TDS already deducted in previous years, if any, shall not be refunded by the trust.

4.0 The above shall be effective from immediate effect.

This issue with the approval of Competent Authority

M Dhawan
30/03/2026
(Manish Dhawan)
Secretary

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं / Save Energy for Benefit of Self and Nation
बिजली से संबंधित शिकायतों के लिए 1912 डायल करें / Dial 1912 for Complaints on Electricity
CIN: L40101HR1975GOI032564
Power Behind Green Power
www.nhpcindia.com @nhpcltd @NHPCIndiaLimited nhpclimited NHPC Limited NHPC Limited